सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 फरवरी, 2021

टर्न-7/शंभु/24.02.21

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये महबूब जी, माननीय मंत्रीगण....व्यवधान....अरे बोल रहे हैं वरीय हैं, वरीयता दिखायी भी पड़नी चाहिए । माननीय मंत्रीगण, यह आपसे संदर्भित है । बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-93 के आलोक में वैसे प्रश्नों के उत्तर को जो सदन में नहीं दिया जा सका हो, सदन पटल पर रखना अनिवार्य है । अत: नियम-93 के आलोक में जिन प्रश्नों के उत्तर मंत्रीगण सदन में देना चाहते हैं वे जब तक इनके उत्तर वस्तुत: सदन में नहीं देते हैं या इन्हें मेज पर नहीं रखते हैं तब तक वे उत्तर प्रकाशनार्थ मुक्त नहीं किये जायेंगे । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल में 18 मंत्री पर आपराधिक चरित्र का इल्जाम है ।

अध्यक्ष : कई अवसर प्रश्न के हैं उसमें आप लायें देख लेंगे हमलोग । श्री समीर कुमार महासेठ, प्रारंभ करें । (व्यवधान)

देखिए बहुत लोग वंचित रह जायेंगे । (व्यवधान) चलिए, उचित माध्यम से आएं ।

(इस अवसर पर मा0सदस्य श्री महबूब आलम सदन के वेल में आकर वापस चले गये ।)

श्री समीर कुमार महासेठ अपनी सूचना पढ़ें नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम ।

शून्यकाल

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, सदर अस्पताल, मधुबनी में बर्न यूनिट एवं आइ0सी0यू0 स्थापति है, परंतु वह चालू नहीं है जिसके कारण गरीबों को भारी कठिनाई हो रही है।

अत: सदर अस्पताल, मधुबनी के बर्न यूनिट एवं आइ0सी0यू0 को चालू किये जाने की मांग करता हूँ ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, बी0पी0एस0सी0 के 48वीं से 62वीं परीक्षा में 15 मौके के बदले 4 मौका ही मिला जिसमें अभ्यर्थी को 14 अवसर/मौका

का नुकसान हुआ । मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि बी0पी0एस0सी0 की परीक्षा में जिन्हें उम्र का नुकसान हुआ है उन्हें चार अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाय ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, जिला खनन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बारूण में रेलवे अंडरपास के गेज को नीचे करवा देने से स्कूली एवं अन्य बसों का रास्ता अवरूद्ध हो गया । इसका विरोध करने पर आमजन एवं जन प्रतिनिधियों पर 04.02.2021 को मुकदमा कर दिया गया । मैं इसकी उच्च स्तरीय जॉच की मांग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, बिहार सहित सीमांचल पूर्णियां में मक्का उपज अत्यधिक होता है । बिहार में मक्का पर एम0एस0पी0 लागू नहीं होने से उपज उचित मूल्य पर नहीं बिकता जिससे किसानों को अत्यधिक क्षति होती है । अत: मैं सरकार से बिहार में धान, गेहूं की तरह मक्का पर भी एम0एस0पी0 लागू कर खरीद करने की मांग करता हूँ ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी में चल रहे अवैध बूचड़खाना एवं गोहत्या से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है । अत: मेहसी सहित पूरे बिहार में अवैध बूचड़खाना एवं गोहत्या पूर्णत: बन्द कराया जाय ।

डा0 शमीम अहमद : महोदय, नरकटिया विधान सभा के छौड़ादानो प्रखंड के गोला पकड़िया घाट पर बना लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है । सरकार से हम मांग करते हैं कि उक्त स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद, ज्ञापांक-439, दिनांक- 11.02.2021 के आलोक में सदर अस्पताल, औरंगाबाद के प्रसव वार्ड से बच्चा चोरी एवं कार्यों में लापरवाही के नाम पर जिले के 88 जी0एन0एम0 का स्थानान्तरण कर दिया गया है । जो किसी प्रकार से भी उचित प्रतीत नहीं होता है । उक्त 88 जी0एन0एम0 के स्थानान्तरण को रोकते हुए, तत्काल प्रभाव से जॉच के उपरांत कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, सीतामढ़ी जिला प्रखंड-बोखड़ा प्रधानमंत्री सड़क 11कि0मी0 भाउर, महिसौथा, पकटोला होकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचती है । सड़क निर्माण दिल्ली के अराबली कंस्ट्रक्शन कम्पनी वर्ष 2010 में शुरू किया और ब्लैक लिस्ट हो गयी । 11 वर्ष हो चुका है । जनहित में सड़क निर्माण कराया जाय ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में पहाड़पुर ढाला और तेलडीहा ग्राम के बीच में मरकोशी धार है जिसकी वजह से तेलडीहा गांव के लोग

अभी भी प्रखंड मुख्यालय पांच महीने नहीं जा पाते हैं । अतः सरकार से मरकोशी धार पर पुल बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास गढ़ प्रक्षेत्र पूरी तरह से आदिवासी बहुल है। रोहतास गढ़ एवं पिपरी पंचायत में 60 आदिवासी गांव है इसके बावजूद यह प्रक्षेत्र पक्की सड़क से पूरी तरह से वंचित है । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि रोतहास गढ़ समेत तमाम गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत सिकरहटा कला गांव के छात्र आरा से मैट्रिक की परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे । गड़हनी में दुर्घटना हो गयी जिससे छात्र दिनेश चौधरी की मौत एवं मुन्ना, दीपक सहित आठ छात्र बुरी तरह से घायल हो गये । मृतक के परिवार को दस लाख मुआवजा व घायलों को निःशुल्क इलाज की मांग करता हूँ ।

श्री अजय कुमार : महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के पंचायत महथी उत्तर, गांव मोहनपुर अवस्थित महाबीर मंदिर के सामने बुढ़ी गंडक नदी के किनारे मिट्टी का कटाव होने से बांध क्षतिग्रस्त होने लगा है । पिछले वर्ष भी बांध को क्षतिग्रस्त होने से किसी तरह बचाया गया था । बोल्डर पिचिंग लगाने से बांध को स्थायी रूप से बचाया जा सकता है । मैं सरकार से बांध को बचाने हेतु बोल्डर पिचिंग लगवाने की मांग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, ग्रामीण इलाकों में डीएस 01 विद्युत् कनेक्शन की श्रेणी को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत 3000 हजार रूपये भुगतान पर सारा बिल माफ का प्रावधान था जो स्कीम अभी बंद है । डीएस 01 एवं 02 विद्युत् कनेक्शन श्रेणी को पूर्व स्कीम के तहत माफ कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मधुबनी जिला के जयनगर थाना में थानाध्यक्ष की लापरवाही से हाल के दिनों में मोटरसाइकिल चोरी की घटना एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में बेतहासा वृद्धि हो गयी है । जयनगर थाना एवं आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त है । शीघ्र विधि-व्यवस्था नियंत्रण हेतु सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

टर्न-8/मुकुल-अंजली/24.02.2021

श्री अखतरूल ईमानः अध्यक्ष महोदय, आलिया, पिता-इम्तियाज, ग्राम-मिर्जाटोला, बेतिया की रहने वाली है । जिसका कुछ अपराधियों द्वारा दिनांक-20.02.2021 को बलात्कार करने के बाद धारधार हथियार से गला रेत दिया है । पीड़िता एम0जे0के0 अस्पताल,

बेतिया में जीवन-मृत्यु से लड़ रही है । अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा पीड़िता को 10 लाख रुपया मुआवजा की मांग करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, डुमरांव विधानसभा अंतर्गत सोनवर्षा ओ0पी0 (थाना-नावानगर) के प्रभारी सुबोध कुमार बाजार करने पहुंचे पुरुषों-महिलाओं के साथ गाली-गलौज कर जलील करते हैं तथा जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं और मना करने पर झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देने की धमकी देते हैं । अत: मैं सोनवर्षा ओ0पी0 प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग करता हूं ।

श्री प्रकाश वीर: अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत 2006 में बालू खनन कर करोड़ों रुपये सरकारी राजस्व का घोटाला किया गया, जिसकी वसूली अभियुक्तों से 23.02.2021 तक नहीं की जा सकी है । राज्यहित में बालू घोटालेबाजों से खनन राजस्व की वसूली शीघ्र की जाय ।

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के मटियारी पंचायत के जनपुरा से किसान चौक जानेवाली सड़क के बीच परमान नदी के मरियाघाट पर बने कॉजवे की स्थिति बेहद खराब है । बरसात के तीन माह कॉजवे के ऊपर तेज जलप्रवाह के कारण रास्ता अवरूद्ध रहता है । उक्त स्थान पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण की मांग सदन से करता हूं ।

श्री रत्नेश सादा: अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के पंचायत सहसौल के श्वेतकमलदह महुआ पंचायत के महुआ चौर, पड़रिया पंचायत के भस्ती, पचारी, विराटपुर पंचायत के भादाचौर, देहत पंचायत के बेहटचौर में हजारों एकड़ भूमि में जल-जमाव रहने के कारण किसान भूखमरी के कगार पर है, सरकार से जल-निकासी हेतु मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का ऋषिकुंड पौराणिक काल में मुनि विभांडक एवं उनके पुत्र ऋषि श्रृंग की तपोभूमि रही है, जहां गर्म जल का झरना भी है । यहां काफी संख्या में पर्यटक आते-जाते रहते हैं परंतु उनके लिए सुविधाएं नगण्य हैं । अत: इसे पर्यटक स्थल घोषणा हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री चेतन आनंद: शिवहर शायद देश का वह अभागा जिला मुख्यालय है जो आजादी के सात दशकों बाद भी रेल लाइन से वंचित है । इस सदन के माध्यम से मैं सीतामढ़ी-मोतिहारी भाया शिवहर को रेलवे से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष: अब शून्यकाल समाप्त हुआ । अब ध्यानाकर्षण सूचना लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार खेमका अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री विजय कुमार खेमका, डॉ॰ सुनील कुमार एवं अन्य नौ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (गृह विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां सहित राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है । आये दिन प्रदेश की आम जनता साइबर ठगी का शिकार हो रही है । प्रदेश में साइबर ठगी के अनुसंधान हेतु अलग से पुलिस बल को आई0टी0 ट्रेनिंग दिलाकर जिलावार साइबर थाना में पदस्थापित करने से साइबर अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है । जिस प्रकार अपराध नियंत्रण के लिए एस0सी0/एस0टी0 थाना, महिला थाना का जिला स्तर पर गठन कर अपराध पर नियंत्रण पाया गया है, ठीक इसी प्रकार साइबर अपराध को रोकने के लिए जिला स्तर पर तत्काल एक थाना की स्थापना करने की आवश्यकता है ।

अत: पूर्णियां सहित राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध पर कारगर रोक लगाने के लिए एक-एक साइबर थाना की स्थापना करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि साइबर अपराध के वर्ष 2016 में 309, वर्ष 2017 में 433, वर्ष 2018 में 374 एवं वर्ष 2019 में 1050 कांड प्रतिवेदित हुये हैं । इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते हुये उपयोग के साथ-साथ साइबर अपराध की घटनाओं एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग में विगत कुछ वर्षों में वृद्धि देखी जा रही है । साइबर अपराध की रोकथाम हेतु वर्तमान में गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के ज्ञाप संख्या- 5120, दिनांक 12.06.2018 के माध्यम से जिलास्तर पर 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। एक सी0सी0एस0एम0यू0 इकाई में एक प्रोग्रामर, तीन डाटा सहायक, कम्प्यूटर में दक्ष एक पुलिस निरीक्षक, तीन पुलिस अवर निरीक्षक एवं दो सिपाही कार्यरत हैं । राज्य के विभिन्न जिलों में थाना की संख्या के अनुपात में सी0सी0एस0एम0यू0 की संख्या चिन्हित की गई है । प्रथम चरण में 39 पुलिस जिलों एवं आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के 7 सी0सी0एस0एम0यू0 की स्थापना की जा चुकी है । आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा केंद्र सरकार के सी0सी0पी0ई0सी0 साइबर